भारत सरकार, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
8वां तल, टॉवर–ए, ओ.आई.डी.बी. भवन,
प्लॉट नं. 2, सैक्टर–73, नोएडा–201301

Government of India, Ministry of Petroleum & Natural Gas
8th Floor, Tower-A, OIDB Bhawan
Plot No. 2, Sector-73, NOIDA - 201301
दूरभाष/Tel. : +91-120-2593800
फैक्स/Fax : +91-120-2593802
वेबसाइट/Website : www.oisd.gov.in

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
Oil Industry Safety Directorate
ISO 9001:2015 certified

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
OIL INDUSTRY SAFETY DIRECTORATE

संख्या, ओआईएसडी / आरटीआई / ०९ दिनांक:30.09.2019

सेवा मे,
नितिन महाजन
वार्ड नंबर- 01(शास्त्री वार्ड),
मुहल्ला- सनीचरा,
होशंगाबाद,
मध्य प्रदेश
पिन: 461001

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत मांगी गई सूचना

महोदय,

यह आपके आरटीआई आवेदन पंजीकरण संख्या OISDE/R/2019/50012, दिनांक 06.09.2019 के संदर्भ में है । जैसा आपके द्वारा वांछित है, हम क्रमानुसार , उपलब्ध रूप में, मांग की गई जानकारी के उत्तर को नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:

प्रश्न : ऑयल इंडस्ट्री सेफ़्टी डिपार्टमेन्ट के नियमों के अनुसार इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड के विभिन्न डिपो तथा टर्मिनलों में कंपनी को विद्युत सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है या नहीं तथा यह नियुक्ति इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड को स्वयं को करनी है या ठेके के अन्तर्गत करवानी है । कृप्या जानकारी प्रदान करें ।

उत्तर (क) :

विद्युत उपकरण के निरीक्षण के लिए ओआईएसडी मानक 137 के अनुसार :

Quote

"विद्युत सुरक्षा अधिकारी अपने संगठन के विद्युत क्षेत्र में एक सक्षम व्यक्ति है, जो बिजली स्टेशनों, उप-स्टेशनों, ट्रांसमिशन और वितरण लाइनों के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए सीईए सुरक्षा विनियमन 2010 के तहत निर्दिष्ट सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करेगा । उसमें सीईए विनियमन 5 के अनुसार विद्युत सुरक्षा अधिकारी के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए।"

Unquote

यदि आप केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप अपीलीय प्राधिकारी को, जिनका पता नीचे दिया गया है, इस उत्तर की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर पुनर्विचार की अपील कर सकते हैं :

श्री लखन लाल साहू
निदेशक (विपणन, पी.ओ.एल.)
तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय
8 वीं मंजिल, ओआईडीबी भवन
प्लॉट नं .2
सेक्टर -73
नोएडा 201301

भवदीय,

30.09.2019

(सौरभ कुमार आर्य)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी-ओआईएसडी